Australian Government
Medicare Australia

medicare

मेडिकेयर

मेडिकेयर क्या है?

मेडिकेयर कार्यक्रम का संचालन मेडिकेयर ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया जाता है तथा इसके अंतर्गत सभी ऑस्ट्रेलियावासियों को नि:शुल्क अथवा कम लागत पर चिकित्सा, नेत्र सेवाएं और अस्पताल में देखभाल उपलब्ध कराई जाती है, तथा इसके साथ ही गैर-सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं चुनने की भी स्वतंत्रता होती है।

मेडिकेयर द्वारा निम्न सेवाएं प्रदान की जाती है:

- सार्वजनिक अस्पताल में जन साधारण (नि:शुल्क) रोगी के रुप में नि:शुल्क उपचार
- नि:शुल्क कम लागत पर पेशेवरों जैसे डाक्टरों, जिनमें विशेषज्ञ, भागीदार नेत्र विशेषज्ञों तथा दंत चिकित्सकों (केवल विशिष्ट सेवाएं) द्वारा उपचार।

ऑस्ट्रेलिया की सार्वजनिक अस्पताल प्रणाली के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार तथा राज्य और प्रादेशिक सरकारों द्वारा संयुक्त रुप से धन उपलब्ध कराया जाता है और इसका संचालन राज्य तथा प्रादेशिक स्वास्थ्य विभागों द्वारा किया जाता है। स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लिए आपके द्वारा दिया जाने वाला योगदान आपकी आय पर आधारित होता है तथा यह करों के रुप में दिया जाता है।

मेडिकेयर ऑस्ट्रेलिया द्वारा अपने मेडिकेयर कार्यालयों के ताने-बाने और अन्य जानकारी तथा दावा संबंधी सेवाओं के माध्यम से मेडिकेयर का संचालन किया जाता है।

मेडिकेयर से आपको मिलने वाले लाभ ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा शुल्क की अनुसूची पर आधारित होते हैं। डॉक्टर अनुसूचित शुल्क से अधिक शुल्क ले सकते हैं।

क्या मैं पात्र हूँ?

यदि आप ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी रहते/रहती हों तथा यदि आपके पास निम्नलिखित में से कोई भी हो:

- ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता
- स्थाई निवास वीज़ा
- न्यूज़ीलैण्ड की नागरिकता
- कुछ स्थाई निवास वीज़ाओं के आवेदक तथा इसके साथ ही निम्नलिखित में से किसी एक के धारक
    - ऑस्ट्रेलिया में काम करने की अनुमति से साथ एक वैध वीज़ा, अथवा
    - एक वैध वीज़ा तथा अभिभावक, पति/पत्नी अथवा बच्चा जो ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हो अथवा बच्चे के पास स्थाई निवास वीज़ा हो।

नोट: नॉरफोक द्वीप मेडिकेयर कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेता है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जो ऑस्ट्रेलियाई नागरिक नॉरफोक द्वीप चले जाएँ, वे ऑस्ट्रेलिया की वापसी-यात्राओं पर पांच वर्षों तक के लिए मेडिकेयर के पात्र होंगे।

आप संभवत: मेडिकेयर के पात्र नहीं होंगें/होंगी यदि:

- आपके माता-पिता के वर्तमान वीज़ा आवेदन पर विचार किया जा रहा है अथवा आपने संरक्षण वीज़ा के लिए आवेदन किया है तथा इससे पूर्व आपने माता-पिता के लिए वीज़ा का आवेदन किया था

- आपके पास अस्थाई संभावित विवाह वीज़ा है (मंगेतर - उपश्रेणी 300 या fiancé—subclass 300। जब तक आपके स्थाई निवास वीज़ा आवेदन को आव्रजन और नागरिकता विभाग (Department of Immigration and Citizenship [DIAC]) द्वारा स्वीकार न कर लिया जाए, तब तक आप मेडिकेयर के लिए पात्र नहीं होंगे/होंगी।

मेडिकेयर में क्या-क्या शामिल होता है?

मेडिकेयर के अंतर्गत अस्पताल के बाहर (out-of-hospital) अथवा अस्पताल में (in-hospital) अनेक लाभ प्रदान किए जाते हैं।

अस्पताल के बाहर सेवाएं

मेडिकेयर के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए लाभ प्रदान किया जाता है:

- चिकित्सकों तथा विशेषज्ञों से परामर्श करने का शुल्क
- रोगों का उपचार करने के लिए चिकित्सकों द्वारा किए गए परीक्षण तथा जांच, जिनमें एक्स-रे तथा प्रयोगशाला परीक्षण भी शामिल हैं
- नेत्र विशेषज्ञों द्वारा की गई नेत्र जांच
- चिकित्सकों द्वारा की जाने वाली अधिकांश शल्य-चिकित्सा तथा अन्य रोगोपचार कार्य-प्रणालियां (procedures)
- अनुमोदित दंत चिकित्सकों द्वारा की जाने वाली कुछ शल्य चिकित्सीय कार्य-प्रणालियां
- फटे होंठ तथा तालू योजना (Cleft Lip and Cleft Palate Scheme) के अंतर्गत विशिष्ट उपचार।

अस्पताल के बाहर प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए आप अपने चिकित्सक का चयन कर सकते/सकती हैं। विशेषज्ञ से मिलने के लिए आपको किसी चिकित्सक (विशेषज्ञ अथवा सामान्य चिकित्सक) से संदर्भ-निर्देश (रैफरल) प्राप्त करना आवश्यक होता है। यदि आपके पास वैध संदर्भ-निर्देश (रैफरल) न हो, तो संभवतः आपको मेडिकेयर लाभ प्राप्त नहीं होंगे अथवा आपको कम राशि का भुगतान प्राप्त होगा। आपको नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श लेने लिए किसी संदर्भ-निर्देश (रैफरल) की आवश्यकता नहीं होती है।

आम-तौर पर सामान्य चिकित्सक सेवाओं के अलावा मेडिकेयर के अंतर्गत अस्पताल के बाहर मेडिकेयर अनुसूची शुल्क का **85 प्रतिशत** भुगतान किया जाता है।

अस्पताल में सेवाएं

ऑस्ट्रेलिया में ऐसे अस्पताल हैं जिनका वित्त-पोषण सरकार द्वारा किया जाता है। इन्हें सार्वजनिक अस्पताल कहा जाता है। यहाँ निजी अस्पताल भी हैं।

जन साधारण रोगी

यदि आप सार्वजनिक अस्पताल में जन साधारण (मेडिकेयर) रोगी के रुप में भर्ती होने का चयन करें, तो आपका उपचार अस्पताल द्वारा नामांकित चिकित्सकों तथा विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। उपचार प्रदान करने वाले अस्पताल द्वारा आपकी देख-रेख, उपचार तथा उपचारोपराँत देख-रेख के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

निजी रोगी

यदि आप सार्वजनिक अथवा निजी अस्पताल में निजी रोगी हों, तो आप अपने उपचार के लिए डॉक्टर का चयन कर सकते/सकती हैं। आपका उपचार करने वाले चिकित्सकों को उनके द्वारा प्रदान गई सेवाओं तथा कार्यविधियों (procedures) के लिए मेडिकेयर द्वारा मेडिकेयर अनुसूचित शुल्क का **75 प्रतिशत** भुगतान किया जाएगा। यदि आपने निजी स्वास्थ्य बीमा ले रखा हो, तो बाकी के खर्च के कुछ अथवा समस्त हिस्से को उसमें शामिल किया जा सकता है। आपको अस्पताल में रहने, नर्सिंग देखभाल तथा थियेटर शुल्क तथा दवाओं जैसे मदों के लिए शुल्क देना होगा। आपको फिजियोथैरेपी जैसी सम्बद्ध स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी शुल्क देना पड़ सकता है। निजी स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत भी इन लागतों को कवर करने में सहायता मिल सकती है।

निजी स्वास्थ्य बीमा

ऑस्ट्रेलिया में अनेक कम्पनियों द्वारा स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है तथा वे भिन्न-भिन्न प्रकार के स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराती हैं।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार अधिकांश निजी स्वास्थ्य बीमा तथा जीवन काल स्वास्थ्य बीमा के लिए लागत में 30 प्रतिशत तक की रियायत प्रदान करती है, ताकि बीमा कराने वाले तथा इसे चालू रखने वाले व्यक्तियों की लागत को कम किया जा सके। जब आप किसी अस्पताल में जाते/जाती हैं अथवा एकदिवसीय शल्य-चिकित्सा करवाते/करवाती हैं, तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं जहां पर चिकित्सक की सेवाओं को आपके अस्पताल बीमा के अंतर्गत कवर कर लिया जाता है तथा आपको किसी अंतर राशि का भुगतान नहीं करना पड़ता है।

यदि आपकी आय एक निश्चित धनराशि से अधिक हो और यदि आपके पास निजी अस्पताल बीमा न हो, तो आपको अधिक मेडिकेयर शुल्क का भुगतान करना होगा।

मैं मेडिकेयर में अपना पंजीकरण कैसे करवा सकता/सकती हूँ?

आपको मेडिकेयर कार्यालय में व्यक्तिगत रुप से जाकर पंजीकरण करवाना होगा। यदि आप दूरस्थ स्थान पर रहते/रहती हों, तथा यथार्थ कारणों से मेडिकेयर के कार्यालय में न जा सकते/सकती हों, तो आपको अपने आवेदन को डाक से भेजना चाहिए। इसके साथ ही अपने दस्तावेजों की मूल अथवा सत्यापित प्रतियां अपने राजधानी शहर में GPO Box 9822 पर अवश्य भेजनी चाहिए, तथा व्यक्तिगत रुप से वहां न पहुंच पाने के कारणों का भी उल्लेख भी करना चाहिए। आपको मेडिकेयर में नामांकित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पासपोर्ट अथवा यात्रा संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

आप्रवासी तथा स्थाई निवास स्थिति के आवेदकों को (स्थाई संरक्षण वीज़ा के आवेदकों सहित) निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा।

- आप्रवासियों के लिए (स्थाई निवास धारक) - पासपोर्ट तथा वैध वीज़ा।
- स्थाई निवास वीज़ा के आवेदक - पासपोर्ट, वैध वीज़ा तथा आव्रजन और नागरिकता विभाग की ओर से कोई सम्बद्ध दस्तावेज।

इस बात की सलाह दी जाती है कि आव्रजन और नागरिकता विभाग की ओर से मेडिकेयर को आपका वीज़ा संबंधी ब्यौरा प्राप्त करने के लिए नामांकन से पूर्व आप ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद **एक सप्ताह तक प्रतीक्षा** करें।

मेडिकेयर सेवा अधिकारी द्वारा नामांकन करने के लिए आपकी सहायता की जाएगी। यदि आपको भाषा संबंधी सहायता चाहिए, तो मेडिकेयर सेवा अधिकारी द्वारा व्यवस्था की जा सकती है अथवा आप अनुवाद तथा दुभाषिया सेवा (टी आई एस) को **131 450*** पर कॉल कर सकते/सकती हैं।

न्यूज़ीलैण्ड नागरिक

यदि आप न्यूज़ीलैण्ड के नागरिक हों तथा स्थाई निवासी के रुप में नामांकन का अनुरोध कर रहे हों, तो आपको निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी:

- आव्रजन और नागरिकता विभाग की ओर से ऑस्ट्रेलिया में प्रविष्टि के ठप्पे के साथ न्यूज़ीलैण्ड का पासपोर्ट
- इस बात का प्रमाण देने वाले दस्तावेज कि आपने न्यूज़ीलैण्ड के साथ संबंध तोड़ दिए हैं अथवा ऑस्ट्रेलिया में आपके निवास के दस्तावेज, तथा कुछ मामलों में दोनों ही आवश्यक होते हैं।

यदि निवास प्रमाणित करना संभव न हो, तो न्यूज़ीलैण्ड के जो नागरिक ऑस्ट्रेलिया आने से पूर्व न्यूज़ीलैण्ड में निवास कर रहे थे, वे पारस्परिक स्वास्थ्य देख-रेख समझौते के अंतर्गत चिकित्सीय रुप से अनिवार्य उपचार के हकदार हैं। इसमें जन साधारण रोगी के रुप में सार्वजनिक अस्पताल में उपचार, वाह्य रोगी सेवाएं तथा औषध लाभ योजना के अंतर्गत कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाने वाली नुस्खे की दवाएं शामिल हैं। इस समझौते के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को मेडिकेयर कार्यक्रम में नामांकित नहीं किया जाता है।

नवजात शिशु

नवजात शिशु के नामांकन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अस्पताल नए माता-पिता को मेडिकेयर को भेजे जाने वाले फार्म को भरने में सहायता दे सकते हैं। मेडिकेयर में नामांकित शिशुओं को स्वत: ही ऑस्ट्रेलियन चाइल्डहुड इम्युनाईज़ेशन रजिस्टर में पंजीकृत कर लिया जाता है।

विदेशों से वापिस आने वाले ऑस्ट्रेलियाई नागरिक

यदि आप ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हों तथा पांच वर्षों से अधिक समय से आप विदेश में थे, तो आपको निम्न दस्तावेज दिखाने होंगे:

- आपकी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता का साक्ष्य
- आपका ऑस्ट्रेलिया में निवास संबंधी दस्तावेज अथवा आपके पिछले देश में निवास के साथ संबंध तोड़ने का साक्ष्य, तथा कुछ मामलों में यह दोनों दस्तावेज अपेक्षित होते हैं।

मुझे अपना मेडिकेयर कार्ड नम्बर कब प्राप्त होगा?

यदि आप नामांकन संबंधी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लें, तो जब आप नामांकन करवाएँगे, आपको तभी अपना मेडिकेयर कार्ड नम्बर प्रदान किया जाएगा। आप इसका प्रयोग उस समय तक कर सकते/सकती हैं जब तक आपको अपना मेडिकेयर कार्ड न प्राप्त हो जाए। आपको आपका कार्ड 10 कार्य-दिवसों के भीतर भेज दिया जाएगा। जब आपको अपना मेडिकेयर कार्ड मिल जाए, तो यह सुनिश्चित कर लें कि सभी जानकारी सही है।

वैध मेडिकेयर कार्ड का होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है – यह सुनिश्चित करें कि मेडिकेयर के पास हमेशा आपका वर्तमान पता उपलब्ध है ताकि आप प्रतिस्थापन मेडिकेयर कार्ड तथा अन्य जानकारी प्राप्त कर सकें।

निम्नलिखित स्थितियों में अपना मेडिकेयर कार्ड अथवा कार्ड नम्बर अपने पास रखें:

- डॉक्टर से मिलने जाने पर
- मेडिकेयर कार्यालय से नकद लाभ का दावा करने पर
- दावे के लिए पूछताछ करते समय

- जनसाधारण (मेडिकेयर) रोगी के रुप में अस्पताल में अपना इलाज करवाने का विकल्प चुनने पर
- फार्मेसी में नुस्खे को भराते समय।

मैं मेडिकेयर से किस प्रकार दावा करुं?

मेडिकेयर में अपना दावा प्रस्तुत करने की अनेक विधियां हैं।

अपने चिकित्सक के प्रेक्टिस-स्थल पर

अनेक चिकित्सक अब मेडिकेयर इलेक्ट्रॉनिक क्लेमिंग के माध्यम से दावा करने की सुविधा प्रदान करते हैं, जिसके अंतर्गत आप अपने चिकित्सक के प्रेक्टिस-स्थल से ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने मेडिकेयर लाभ का दावा कर सकते/सकती हैं।

यदि आपका चिकित्सक मेडिकेयर इलेक्ट्रॉनिक क्लेमिंग के माध्यम से दावा करने की सुविधा प्रदान करे, तो प्रेक्टिस-स्थल पर कार्यरत कर्मीदल द्वारा सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आपका दावा मेडिकेयर को प्रस्तुत किया जा सकता है अथवा आपके ई एफ टी पी ओ एस (EFTPOS) कार्ड का प्रयोग कर के प्रेक्टिस-स्थल पर उपलब्ध ई एफ टी पी ओ एस टर्मिनल पर यह दावा प्रस्तुत किया जा सकता है।

आपके चिकित्सक द्वारा प्रयोग की गई दावा प्रणाली के आधार पर आपकी लाभ राशि को तीन कार्यदिवसों के अंदर आपके बैंक खाते में जमा करवा दिया जाता है।

मेडिकेयर इलेक्ट्रॉनिक क्लेमिंग के माध्यम से दावा करने की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिए आप अपने बैंक खाते को मेडिकेयर ऑस्ट्रेलिया के साथ पंजीकृत करवा सकते हैं। इस खण्ड के पीछे दिए गए बैंक खाता विवरण संचयन प्रपत्र (Bank account details collection form) को भर कर, किसी मेडिकेयर कार्यालय में जा कर, वेबसाइट **www.medicareaustralia.gov.au** पर, अथवा 132 011* पर कॉल करके पंजीकरण किया जा सकता है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि आपके चिकित्सक के पास आपका मेडिकेयर नम्बर तथा पते आदि का ब्यौरा हो।

बल्क बिलिंग

जब आपका चिकित्सक सीधे मेडिकेयर को ही अपने बिल भेजता है तथा सेवा के लिए मेडिकेयर लाभों को पूर्ण भुगतान के लिए स्वीकार करता है, तो इसे बल्क बिलिंग कहा जाता है। यदि आपके चिकित्सक द्वारा बल्क बिलिंग की जाती है, तो आपको अतिरिक्त मदों जैसे बुकिंग शुल्क, प्रशासन शुल्क, अभिलेखन अथवा पट्टियों आदि के लिए कोई शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। पर कुछ टीकों के लिए अतिरिक्त शुल्क देय हो सकता है।

आपको मेडिकेयर के समक्ष अपना दावा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके चिकित्सक के द्वारा सीधे ही मेडिकेयर को बिल भेज दिया जाएगा।

मेडिकेयर कार्यालय

ऑस्ट्रेलिया में मेडिकेयर के 239 कार्यालय हैं जहां पर कांउटर पर अथवा मेडिकेयर ड्रॉप बॉक्स का प्रयोग करते हुए दावा किया जा सकता है। कार्यालय में दावा प्रस्तुत करते समय ऐसा हो सकता है कि आपको दावा प्रपत्र भरने की आवश्यकता न पड़े। आपको बस यह सुनिश्चित करना होता है कि आपके पास अपनी रसीद तथा मेडिकेयर कार्ड हों। जब आप कार्यालय में दावा करते/करती हैं, तो आपको अपने लाभ का भुगतान नकदी के रूप में अथवा इलेक्ट्रॉनिक रुप से अपने बैंक खाते में प्राप्त हो सकता है।

डाक द्वारा

आप अपना पूरा भरा हुआ प्रपत्र, मूल दस्तावेजों और रसीदों के साथ निम्न पते पर डाक द्वारा भी भेज सकते/सकती हैं:

Medicare Australia
GPO Box 9822
आपके राजधानी शहर में

जब आप डाक से दावा भेजते/भेजती हैं, तो अपना मेडिकेयर कार्ड साथ में न भेजें। प्रपत्र **www.medicareaustralia.gov.au** पर अथवा मेडिकेयर कार्यालय में उपलब्ध हैं। जब आप डाक से अपना दावा भेजते/भेजती हैं तो आपको भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रुप से आपके खाते में पैसा जमा करवा कर दिया जाता है अथवा आपको एक चैक भेजा जाता है।

टेलीफोन

1300 360 460* पर कॉल करें तथा अपने दावे से संबंधित ब्यौरा दें और अपनी रसीदों और लेखाओं को निम्न पते पर भेज दें:

Medicare Australia
GPO Box 9822
आपके राजधानी शहर में

इस स्थिति में दावे प्रपत्र की आवश्यकता नहीं होती है। दस्तावेजों के डाक में होने के समय ही मेडिकेयर द्वारा आपके दावे पर कार्रवाई शुरु कर दी जाती है। उनका सत्यापन कर लिए जाने के बाद भुगतान कर दिया जाता है। आप किसी भी समय, अर्थात 24 घंटे तथा सप्ताह के सातों दिन 1300 360 460* पर कॉल कर सकते/सकती हैं। जब आप टेलीफोन से अपना दावा करते/करती हैं, तो आपका भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रुप से आपके खाते में पैसा जमा करवा करके दिया जाता है अथवा आपको एक चैक भेज दिया जाता है।

मेडिकेयर एक्सेस प्वाइन्ट्स

ग्रामीण तथा दूरस्थ समुदायों में रहने वाले लोगों के लिए मेडिकेयर ऑस्ट्रेलिया एक्सेस प्वाइन्ट्स सुविधा उपलब्ध है। एक्सेस प्वाइन्ट्स ऐसे बूथ होते हैं जहां पर आप किसी मेडिकेयर सेवा अधिकारी से फोन पर बात कर सकते/सकती हैं। ये फ़ार्मेसियों, ग्रामीण लेनदेन केन्द्रों तथा कुछ दुकानों में उपलब्ध कराए गए हैं। दावा करने के लिए आप मेडिकेयर सेवा प्रचालक से बात करें जो आपका पूरा ब्यौरा दर्ज कर लेगा तथा आपके दावे पर कार्रवाई शुरु कर देगा। इसके बाद आप अपने दस्तावेज मेडिकेयर को भेज दें और जब आपके दस्तावेजों को सत्यापित कर लिया जाए, तो भुगतान कर दिया जाएगा। जब आप एक्सेस प्वाइंट पर फोन से दावा प्रस्तुत करते/करती हैं, तो आपके लाभ का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रुप से आपके खाते में पैसा जमा करके दिया जाता है अथवा आपको एक चैक भेज दिया जाता है।

दावा करने के साथ-साथ आप एक्सेस प्वाइंट का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए भी कर सकते/सकती हैं:

- अपने मेडिकेयर लाभ कर विवरण-पत्र की प्रति का अनुरोध
- अपने मेडिकेयर ब्यौरे को अद्यतन करना
- ऑस्ट्रेलिया अंगदाता रजिस्टर में पंजीकरण करवाना
- परिवार सहायता भुगतानों के संबंध में सहायता प्राप्त करना
- मेडिकेयर ऑस्ट्रेलिया कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करना।

आप एक्सेस प्वाइंट संबंधी जानकारी वेबसाइट **www.medicareaustralia.gov.au** पर प्राप्त कर सकते/सकती हैं।

मेडिकेयर टू-वे (Medicare two-way)

मेडिकेयर टू-वे के अंतर्गत आपको अपने मेडिकेयर दावा प्रपत्रों को भागीदार निजी स्वास्थ्य कोषों के पास जमा करने, तथा निजी स्वास्थ्य कोष के दावे प्रपत्रों को मेडिकेयर कार्यालयों में जमा करने की सुविधा प्राप्त होती है। आपके दावे प्रपत्रों को कार्रवाई के लिए संबंधित संगठन के पास भेज दिया जाता है। जब आप मेडिकेयर टू-वे से दावा प्रस्तुत करते/करती हैं, तो आपके लाभ का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रुप से आपके खाते में पैसा जमा करके दिया जाता है अथवा आपको एक चैक भेज दिया जाता है।

मेडिकेयर सेफ्टी नेट क्या है?

यदि आपको बार-बार डॉक्टर से मिलना पड़ता हो अथवा बार-बार परीक्षण करवाने पड़ते हों, तो आपको बहुत अधिक चिकित्सा व्यय करना पड़ सकता है। मेडिकेयर सेफ्टी नेट की अवरचना आपको उस समय सहायता देने के लिए की गई है जब आपको सहायता की सबसे अधिक जरुरत हो। जब आप एक बार मेडिकेयर सेफ्टी नेट की उच्चतम सीमा तक पहुंच जाते/जाती हैं, तो चिकित्सक से परामर्श अथवा चिकित्सीय जांच या परीक्षणों के लिए आपको कम राशि खर्च करनी पड़ेगी।

मेडिकेयर सेफ्टी नेट आपको **अस्पताल के बाहर के खर्चों** के लिए कवर करता है। अस्पताल के अंदर प्राप्त की जाने वाली सेवाओं और बल्क बिलिंग को मेडिकेयर सेफ्टी नेट के अंतर्गत कवर नहीं किया जाता है।

क्या मुझे पंजीकरण करवाने की आवश्यकता है?

व्यक्ति-विशेषों का पंजीकरण स्वत: हो जाता है - बस आपको मेडिकेयर के पास अपने ब्यौरे को अद्यतन रखना चाहिए।

सभी **परिवारों तथा दम्पतियों** को पंजीकरण करवाने की आवश्यकता होती है। यहां तक कि यदि आपके मेडिकेयर कार्ड में आपके पूरे परिवार का पंजीकरण करवाया गया हो, तो भी आपको मेडिकेयर सेफ्टी नेट के लिए पंजीकरण करवाना होगा।

- परिवार के प्रत्येक सदस्य की पहचान करना आवश्यक होता है, ताकि अस्पताल के बाहर की उनकी चिकित्सा लागतों की गणना आपके परिवार के मेडिकेयर सेफ्टी नेट के संदर्भ में की जा सके।
- आपको अपने परिवार का पंजीकरण केवल एक बार ही करवाना होगा।
- पंजीकरण नि:शुल्क है।

नोट: मेडिकेयर सेफ्टी नेट के लिए परिवार का अर्थ निम्न होता है:

- विधिवत् रुप से विवाहित एक जोड़ा जोकि अलग न हुआ हो, अथवा वस्तुत: सहजीविता (de facto partnership) का जोड़ा, चाहे उनके आश्रित बच्चा हो/बच्चें हों या नहीं, या
- आश्रित बच्चों के साथ एकल व्यक्ति।

मैं पंजीकरण कैसे करवाऊँ?

आप निम्नलिखित रुप से पंजीकरण करवा सकते/सकती हैं:

- इस पैक से साथ संलग्न प्रपत्र को भर कर
- व्यक्तिगत रुप से – मेडिकेयर कार्यालय में
- टेलीफोन पर - 132 011* पर कॉल करके

- ऑनलाइन - **www.medicareaustralia.gov.au**

मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं उच्चतम सीमा पर पहुंचने वाला/वाली हूँ?

जब आप अधिकतम सीमा पर पहुंचने वाले हों, तो मेडिकेयर आप के साथ सम्पर्क करेगा। अपने मेडिकेयर सेफ्टी नेट शेष राशि की जांच करने के लिए:

- **www.medicareaustralia.gov.au/online** पर जाएं
- अपने स्थानीय मेडिकेयर कार्यालय में जाएं।
- 132 011* पर कॉल करें

मुझे क्या लाभ प्राप्त हैं?

उदाहरण के रुप में, यदि आप मेडिकेयर सेफ्टी नेट की उच्चतम सीमा पर पहुंच जाने के बाद अपने चिकित्सक पास जाएँ और वह आपसे $65 लेता है, तो आपको $34.30 का मेडिकेयर लाभ प्राप्त होगा। आपको अपने आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय का 80 प्रतिशत भी मिलेगा, अर्थात आपको $24.60 की अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होगी। इस प्रकार से इस उदाहरण में आपके लिए आपके चिकित्सक के पास जाने पर केवल $6.10 का खर्चा आएगा।

जनवरी 2011 के अनुसार मेडिकेयर सेफ्टी नेट की उच्चतम सीमाएं

उच्चतम सीमा	यह किसके लिए है	इसकी गणना कैसे की जाती है	आपको मिलने वाला लाभ
$399.60†	• सभी मेडिकेयर कार्डधारक	अंतर राशि पर आधारित	अनुसूचित शुल्क का 100%
$578.60†	• कॉमनवैल्थ रियायत कार्ड धारक • एफ टी बी(ए) प्राप्त करने वाले परिवार	आपके द्वारा किया गया खर्च	अस्पताल से बाहर की सेवाओं के लिए आपके द्वारा किए गए खर्च का 80%
$1157.50†	• सभी मेडिकेयर कार्डधारक	आपके द्वारा किया गया खर्च	अस्पताल से बाहर की सेवाओं के लिए आपके द्वारा किए गए खर्च का 80%

† इस आंकड़े को हर वर्ष 1 जनवरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी पी आई) के अनुसार समायोजित किया जाता है।

आपके द्वारा किया गया खर्च — मेडिकेयर लाभ तथा आपसे चिकित्सक द्वारा लिया गया प्रभार, इन दोनों का अंतर।

अंतर राशि — मेडिकेयर लाभ तथा अनुसूचित शुल्क के बीच का अंतर।

अनुसूचित शुल्क — ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा सेवा के लिए निर्धारित किया गया शुल्क।

सेफ्टी नेट में क्या सेवाएँ शामिल हैं?

जिन सेवाओं के लिए व्यय की जाने वाली लागत को सेफ्टी नेट में शामिल किया जाता है, उनके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:

- सामान्य चिकित्सक और विशेषज्ञों के साथ परामर्श
- अल्ट्रासाउंड
- मनश्चिकित्सा
- सी टी स्कैन
- रेडियोथैरेपी
- ऊतक बायोप्सी
- एम आर आई
- रक्त परीक्षण
- एक्स-रे
- पैप स्मीयर्स।

दादा-दादी, नाना-नानी तथा संरक्षकों के लिए जानकारी

क्या मैं अपने संरक्षण के तहत बच्चे के चिकित्सा व्ययों के लिए दावा कर सकता/सकती हूँ?

हां, दादा-दादी या नाना-नानी अथवा संरक्षक के रुप में आप बच्चे के लिए भुगतान किए गए चिकित्सा व्ययों के चिकित्सा लाभों का दावा कर सकते/सकती हैं - लाभ प्राप्त करने के लिए बस आपको अपने खाते को मेडिकेयर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

क्या मुझे दावे के लिए बच्चे को अपने मेडिकेयर कार्ड पर पंजीकृत कराना होगा?

नहीं, आपके द्वारा वहन की गई चिकित्सा लागतों के लिए आपको अपने मेडिकेयर में बच्चे का नामांकन करवाने की आवश्यकता नहीं है।

क्या मुझे ऐसे मेडिकेयर कार्ड की आवश्यकता है जिस पर बच्चे का पंजीकरण किया गया हो?

बच्चे का मेडिकेयर में नामांकन तथा मेडिकेयर कार्ड पर उसका पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन आपको लाभ के लिए दावा करने हेतु अपने पास उनके मेडिकेयर कार्ड की आवश्यकता नहीं होती है। चिकित्सक मेडिकेयर ऑस्ट्रेलिया को 132 150* पर कॉल करके बच्चे के मेडिकेयर कार्ड नम्बर का अनुरोध कर सकता है तथा इसका प्रयोग बल्क बिल दावे के लिए किया जा सकता है। यदि चिकित्सक बिल जारी करे, तो आपके स्थानीय मेडिकेयर कार्यालय में उपलब्ध सेवा अधिकारी आपको दावा प्रस्तुत करने के लिए सहायता देगा।

क्या मैं अपने मेडिकेयर कार्ड में बच्चे को शामिल कर सकता/सकती हूँ?

दादा-दादी या नाना-नानी और संरक्षक बच्चे/बच्चों के नाम को अपने मेडिकेयर कार्ड में शामिल करने का अनुरोध कर सकते हैं, पर अनुरोध के समर्थन में उन्हें दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। न्यायालय अथवा संबंधित राजकीय सामुदायिक सेवाएँ विभाग से प्राप्त दस्तावेजों को इस आशय के साक्ष्य के रुप में प्रयोग में लाया जा सकता है कि बच्चे समर्पित देखभाल के अंतर्गत आते हैं।

किसी बच्चे का नाम माता-पिता से प्राप्त प्राधिकार के बिना माता-पिता के मेडिकेयर कार्ड से नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन जब बच्चे की प्राथमिक रुप से देखभाल माता-पिता के अलावा कोई अन्य व्यक्ति कर रहा/रही हो, तो बच्चे को उस व्यक्ति के मेडिकेयर कार्ड में नामांकित किया जा सकता है। अथवा जब बच्चा 15 वर्ष की आयु का हो जाए, तो उसका नाम खुद के मेडिकेयर कार्ड में नामांकित किया जा सकता है।

क्या मैं बच्चे को अपने मेडिकेयर सेफ्टी नेट पंजीकरण में शामिल कर सकता/सकती हूँ?

इस बात की जानकारी होना महत्वपूर्ण है कि किसी बच्चे को दादा-दादी/नाना-नानी के मेडिकेयर सेफ्टी नेट पंजीकरण में पंजीकृत किए जाने में मेडिकेयर सेफ्टी नेट की कुछ सीमाएँ होती हैं। एक बच्चे को अधिकतम दो मेडिकेयर सेफ्टी नेट पंजीकरणों में ही पंजीकृत कराया जा सकता है।

यदि माता-पिता के दो अलग-अलग पंजीकरण हों तथा बच्चे को दोनों में नामांकित किया गया हो, तो बच्चे को दादा-दादी/नाना-नानी के मेडिकेयर सेफ्टी नेट पंजीकरणों में पंजीकृत नहीं कराया जा सकता है।

चूंकि कई प्रकार की भिन्न-भिन्न परिस्थितियां हो सकती हैं, इसलिए दादा-दादी/नाना-नानी को इस बात की पुष्टि करने के लिए मेडिकेयर कार्यालय के साथ सम्पर्क करना चाहिए कि क्या वह अपने नाती/पोते आदि को मेडिकेयर कार्ड और/या मेडिकेयर सेफ्टी नेट पंजीकरण में शामिल कराने के लिए पात्र हैं।

सारांश जांच-सूची

यह सुनिश्चित करने के लिए इस जांच-सूची का प्रयोग करें कि आपको मेडिकेयर के बारे में सभी जानकारी है।

- नामांकन के समय साथ लाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी के लिए 132 011* पर सम्पर्क करें।
- अपने स्थानीय मेडिकेयर कार्यालय अथवा वेबसाइट **www.medicareaustralia.gov.au** पर उपलब्ध नामांकन प्रपत्र भरें, या 132 011* पर सम्पर्क करें।
- यदि आप आप्रवासी हों अथवा स्थाई संरक्षण वीज़ा सहित किसी अन्य स्थाई निवास वीज़ा के आवेदक हों, तो आपको ऑस्ट्रेलिया में अपने आगमन के बाद मेडिकेयर के लिए नामांकन हेतु एक सप्ताह तक प्रतीक्षा करनी होगी। जब आप नामांकन के लिए जाएँ, तो अपने साथ अपना पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज साथ ले जाना याद रखें।
- नवजात शिशुओं के लिए अस्पताल शिशु को मेडिकेयर में नामांकित करने के लिए आपको सहायता देगा।
- जब आपको पहली बार आपका मेडिकेयर कार्ड प्राप्त हो, तो समस्त ब्यौरे की जांच कर के यह सुनिश्चित कर लें कि सभी जानकारी सही है।
- जब आपको नया मेडिकेयर कार्ड प्राप्त हो जाए, तो पुराने कार्ड को नष्ट कर दें।
- जब भी आप किसी चिकित्सक के पास या अस्पताल में जाएं या किसी फ़ार्मेसी में नुस्खा भराएँ, तो अपना मेडिकेयर कार्ड (तथा यदि आपके पास रियायती कार्ड हो, तो उसे) साथ ले जाना न भूलें।
- यदि आपके पते में कोई परिवर्तन हो, तो मेडिकेयर को सूचित करें ताकि आपको प्रतिस्थापन कार्ड तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
- मेडिकेयर कार्यालय अथवा **www.medicareaustralia.gov.au** पर इस किट में उपलब्ध प्रपत्र का प्रयोग कर के अपने परिवार को मेडिकेयर सेफ्टी नेट में पंजीकृत कराएं - यह मेडिकेयर में नामांकन से भिन्न है।
- अपने बैंक के विवरण को मेडिकेयर ऑस्ट्रेलिया के पास पंजीकृत कराएं, जिससे कि आप ऑन-दि-स्पॉट दावे का लाभ उठा सकें।

- किसी विशेषज्ञ के पास जाते समय यह सुनिश्चित कर लें कि आप पहले किसी विशेषज्ञ अथवा सामान्य चिकित्सक से संदर्भ-निर्देश (रैफरल) प्राप्त करें तथा उसे अपने साथ ले जाएँ।
- पारस्परिक स्वास्थ्य देख-रेख समझौतों तथा विदेश-यात्रा के दौरान आवश्यक बीमे की जाँच करना याद रखें।

मेडिकेयर के संबंध में अधिक जानकारी के लिए

ऑनलाइन	**www.medicareaustralia.gov.au**
ईमेल	**medicare@medicareaustralia.gov.au**
पत्र-व्यवहार	**Medicare Australia** **GPO Box 9822** आपके राजधानी शहर में
कॉल	132 011*
टी टी वाई	1800 552 152** (सुनने तथा बोलने में असमर्थ व्यक्ति)
टी आई एस	131 450* (अनुवाद तथा दुभाषिया सेवा)

*कॉल प्रभार लागू होते हैं।

**कॉल प्रभार केवल मोबाइल तथा पे फोनों पर ही लागू होते हैं।

1577_09c.20.01.11